

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 132/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 28-04-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

जोगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मजीत जाटव, उम्र 28 वर्ष।
निवासी जितवार सिंह का पुरा, थाना मौ, जिला
भिण्ड म0प्र0

-----आरोपी

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 201/2015 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 132/2015

शासन द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।
आरोपी की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 16-12-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 363, 366(क), 376(2)(आई)(एन) भा0दं0वि0 एवं धारा 4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 18-02-2015 को 3 बजे दिन स्थान जितवार सिंह का पुरा थाना मौ में फरियादी हरिविलास की नाबालिग पुत्री जो कि 16 वर्ष की थी को उसके विधि पूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक या उसके करीब उक्त नाबालिग पीड़िता का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध कर या यह संभाव्य जानते हुए कि अयुक्त संभोग करने हेतु उसे विवश या विलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय या उसके करीब अभियोक्त्री जो कि नाबालिग स्त्री है के साथ बार बार बलात्कार किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब अभियोक्त्री जो कि नाबालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं गुरुत्तर

लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.02.2015 को ग्राम जितवारसिंह का पुरा निवासी हरिविलास जाटव के द्वारा थाना मौ में एक लेखीय आवेदनपत्र उसकी नावालिंग पुत्री पीडिता/अभियोगत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला/फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में पेश किया कि वह दिनांक 18.02.2015 को अपनी पत्नी कमला को इलाज कराने के लिए बरोली ले गया था और घर पर अपहृता को छोड़ गया था। वह करीब तीन बजे घर बापस आये तो पीडिता घर नहीं मिली और आसपास तथा रिस्तेदारी में पता किया तो लडकी का कहीं पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 भा.द.वि के अंतर्गत अपराध क्रमांक 38/2015 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। दौरान विवेचना दिनांक 15.03.15 को रेल्वे स्टेशन परिसर ग्वालियर से अपहृता को जोगेन्द्र के साथ दस्तायाव किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। अपहृता का धारा 161 जा.फौ. के कथन लेखबद्ध किए गए एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपहृता के कथन लेखबद्ध किए गए जिस पर से धारा 376 भा.द.वि का इजाफा किया गया। अपहृता एवं आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीडिता एवं आरोपी क सीमन इस्लाइड व चड्डी की जप्ती की गई। अपहृता को उसके माता पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। अपहृता की उम्र के संबंध में पीडिता का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कि गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366(क), 376(2)(आई)(एन) भा0दं0वि0 एवं धारा 4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या अपहृता/पीडिता घटना दिनांक 18.02.2015 को 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिंग थी?

2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 18-02-2015 को 3 बजे दिन या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग है को थाना मौ क्षेत्र से उसके पिता की विधि पूर्ण संरक्षिता से उसकी सहमति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए?
3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग है को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध करेगा उसका व्यपहरण/अपहरण किया?
4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिग स्त्री जो कि 16 साल से कम उम्र की होकर एवं सहमति देने में सक्षम नहीं है के साथ बार बार बलात्संग किया?
5. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित क्या?
6. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिग स्त्री के साथ गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन हमला कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 :-

06. सर्वप्रथम पीडिता/अभियोक्त्री की घटना के समय उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडिता के पिता हरिविलास अ0सा0 3 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में घटना के समय पीडिता की उम्र करीब 15 से 17 वर्ष के बीच की होना बताई। इस बिन्दु पर साक्षिया कमला जो कि पीडिता की माँ है के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र के संबंध में कोई बात नहीं बताई है तथा अन्य अभियोजन साक्षी गंभीर अ0सा0 5 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र 15-16 वर्ष की होना बताई है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य के आधार पर पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

07. पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता के पिता हरिविलास के द्वारा उसकी बच्ची पीडिता के स्कूल में पढ़ने जाने के संबंध में बताया है। इस बिन्दु पर पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा भी कक्षा पांचवी तक विद्यालय में पढ़ने के संबंध में बताया है।

08. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय प्राथमिक विद्यालय जितबारसिंह का पुरा के सहायक शिक्षक कल्याणसिंह अ0सा0 9 के कथन भी कराए है जिनके द्वारा पीडिता के जन्म तिथि के संबंध में विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 10.03.1999 अंकित होना बताई है, जो कि पीडिता के उनके विद्यालय के भर्ती रजिस्टर के क्रमांक 208 पर पीडिता का नाम व जन्मतिथि दर्ज जिसके आधार पर उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि बताई गई है जो कि मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 10 और उसकी फोटोप्रति प्र.पी. 10सी है। उक्त साक्षी का कथन में प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार विद्यालय की भर्ती रजिस्टर के अनुसार पीडिता की जन्मतिथि दिनांक 10.03.1999 होना स्पष्ट है।

09. पीडिता की उम्र के संबंध में उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा पीडिता का ऑसिफिकेशन टैस्ट भी कराया गया है जिस संबंध में अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.सिंह अ0सा0 12 जिनके द्वारा कि पीडिता का आयु के संबंध में परीक्षण किया है जिसके अनुसार दिनांक 17.03.2015 को भिण्ड जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ दौरान पीडिता की उम्र के संबंध में उसकी दाहिनी कोहनी, कंधे एवं कलाई का एक्सरे किया था। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में पीडिता 17 वर्ष की उम्र पूर्ण करने एवं 18 वर्ष पूर्ण न करने के संबंध में बताया है। उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

10. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फर्स्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

11. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित सहायक शिक्षक के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। ऐसी दशा में ६

टना जो कि दिनांक 18.02.2015 की होनी बताई गई है उस समय पीडिता की उम्र 15 साल 09 माह 08 दिन की होनी पाई जाती है जो कि घटना के समय नावालिग होना प्रमाणित होती है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 6:-

12. धारा 363 भा0दं0वि0 जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यपहरण को धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य है- (i) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृतचित्त व्यक्ति को। (ii) विधि पूर्ण संरक्षकता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है।" धारा 366 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाना आवश्यक है।

13. पीडिता के अपने पिता हरिविलास के संरक्षण से जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता के पिता हरिविलास अ0सा0 3 के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी पत्नी बीमार थी और वह उसे लेकर बलोरी इलाज के लिए गई थे। दिन के तीन - साढ़े तीन बजे के करीब लौटकर आए तो पीडिता घर पर नहीं मिली, उसकी छोटी बहन से पूछा तो उसने कहा कि वह लेट्रिन करने की कहकर घर से गई है तब से बापस नहीं आई है। लडकी की तलाश आसपास व रिस्तेदारों के यहाँ की गई, लेकिन वह नहीं मिली। उसके ढूँढने पर भी न मिलने पर पुलिस को सूचना दी थी जो कि लिखित आवेदनपत्र प्र.पी. 5 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस के द्वारा उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 दर्ज की गई थी जिस पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना साक्षी बताया है। साक्षी केद्वारा यह भी बताया गया है कि लडकी के जाने के 20-22 दिन बाद ग्वालियर स्टेशन पर मिली थी। पुलिस ने उसकी दस्तयाबी कर दस्तयाबी पंचनामा की लिखापट्टी की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 2 होना भी बताया है। इस संबंध में रिपोर्टकर्ता हरिविलास के कथन पुष्टि साक्षी कमला अ0सा0 4 जो कि पीडिता की माँ है एवं गंभीर अ0सा0 5 तथा आंशिक रूप से साक्षी रूपसिंह अ0सा0 1 के कथनों से भी होती है।

14. पीडिता के घर में न मिलने और उसके गुम जाने के संबंध में घटना के पश्चात्

थाना मौ में उसके पिता हरिविलास के द्वारा प्र.पी. 5 की लिखित रिपोर्ट दी गई है जिसके आधार पर प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है जो कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उक्त रिपोर्ट के संबंध में ए.एस.आई. बी.एल. सनेरिया के द्वारा रिपोर्ट प्र.पी. 6 पर तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश गुप्ता के हस्ताक्षर होना पहचाना है।

15. इस प्रकार पीडिता के घर पर न मिलने और उसके गुम जाने के संबंध में, और उक्त आशय की रिपोर्ट पीडिता के पिता के द्वारा किए जाने और बाद में पीडिता के 20-22 दिन बाद पुलिस के द्वारा दस्तयाब किये जाने और पिता के सुपुर्दगी में लिए जाने का तथ्य उक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है। अब मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि – क्या आरोपी के द्वारा पीडिता को उसकी विधि पूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया या बहलाकर ले जाया गया? क्या आरोपी के द्वारा उक्त नावालिग स्त्री का व्यपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के उद्देश्य से किया गया? क्या आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया? क्या आरोपी के द्वारा व्यपहृता के साथ लैंगिक हमला कारित किया? क्या आरोपी के द्वारा व्यपहृता के साथ गुरुतर लैंगिक हमला कारित किया?

16. यह उल्लेखनीय है कि आरोपी के द्वारा व्यपहृता को ले जाते हुए देखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। इस प्रकार इस बिन्दु पर अभियोक्त्री के कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभियोक्त्री को अ0सा0 2 के रूप में अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराया गया है। अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि आरोपी जो कि उसका मौसा लगता है उसके द्वारा उसे उसके मामा जो कि बानमौर में रहते हैं के यहाँ छोड़ने के लिए कहा था तो वह उसके साथ ग्वालियर चली गई थी और उस दिन रात होने से वह नहीं जा पाए थे और दूसरे दिन उसके मामा के यहाँ ट्रेन से पहुँची थी और आरोपी उसे मामा के यहाँ छोड़कर आ गया था। अभियोक्त्री के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह भी बताया है कि उसके मम्मी पापा उसे उसके मामा के यहाँ बानमौर नहीं भेज रहे थे तो जिस दिन उसकी मम्मी इलाज कराने के लिए गई थी उसी दिन उसने आरोपी से उसके मामा के यहाँ छोड़ने के लिए कहा था तो आरोपी उसे मामा के यहाँ छोड़ आया था।

17. इस प्रकार अभियोक्त्री के उक्त कथन से ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा उसे ले जाने अथवा बहला फुसलाकर ले जाने का कोई कृत्य किया गया हो, बल्कि अभियोक्त्री के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसके मम्मी पापा उसे उसके मामा के यहाँ नहीं भेज रहे थे तो वह बानमौर अपने मामा के यहाँ आरोपी जो कि उसका मौसा लगता है के साथ चली गई थी। इस बिन्दु पर हरिविलास अ0सा0 3 के द्वारा भी यह बताया

गया है कि लडकी के बरामद होने पर उसे बताया था कि वह मामा के यहाँ बानमौर गई थी जो कि जोगेन्द्र उसे वहाँ छोड़ने गया था। यद्यपि आरोपी जोगेन्द्र अभियोक्त्री के साथ जाने के संबंध में उक्त साक्ष्य के आधार पर दर्शित होता है, किन्तु आरोपी का आशय अभियोक्त्री की विधिपूर्ण संरक्षिता से ले जाने का रहा हो अथवा आरोपी उसे बहला/फुसलाकर ले गया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आरोपी के द्वारा पीडिता का मौसा होने के नाते उसे उसके मामा के यहाँ बानमौर छोड़ने गया हो तो मात्र इस आधार पर कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को ले जाया गया हो अथवा उसे ले जाने हेतु बहलाया गया हो जिससे पीडिता उसके साथ गई हो। इस प्रकार आरोपी के द्वारा पीडिता को उसकी विधि पूर्ण संरक्षिता से ले जाकर उसका व्यपहरण करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती।

18. अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किए जाने या इस संबंध में कोई संभावना का जहाँ तक प्रश्न है। अभियोक्त्री के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपी के द्वारा उसे उसके साथ अयुक्त संभोग करने अथवा उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने एवं उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में भी कोई बात अपने साक्ष्य कथन के दौरान नहीं बताई है, बल्कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या विलुब्ध करने के संबंध में अन्य किसी भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी भी नहीं पाई जाती है।

19. अभियोक्त्री के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में कोई भी बता नहीं बताई है। इस संबंध में अभियोक्त्री की दस्तयावी के पश्चात् उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, किन्तु चिकित्सी परीक्षण करने वाले डॉक्टर बिमलेश गौतम अ0सा0 8 के कथनों में भी अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दिया जा सकने का उल्लेख आया है। चिकित्सक के द्वारा पीडिता के उसके बाहरी एवं आंतरिक अंग पर किसी प्रकार के चोट के निशान होने भी नहीं पाए गये हैं। ऐसी दशा में चिकित्सक अभिमत के आधार पर भी पीडिता के साथ बलात्कार की घटना होनी की कोई पुष्टि नहीं होती है। साक्षी के द्वारा पीडिता की चड्डी शील कर और दो स्वाव एवं स्लाइड बनाकर संबंधित आरक्षक को सौंप दिए थे। इस संबंध में अन्य चिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह अ0सा0 6 के द्वारा आरोपी संभोग करने में सक्षम होना बताते हुए उसकी अंडरवीयर, प्यूबिक हियर और शीमन स्लाइड शील कर संबंधित आरक्षक को सौंपना बताया है, किन्तु इस संबंध में कोई भी एडवांस टैस्ट कराया गया हो अथवा कोई डी.एन.ए टैस्ट कराया

गया हो जिससे कि आरोपी के अपराध में संलग्न होने की कोई सम्पुष्टि होती हो ऐसा कोई भी टैस्ट या परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन के द्वारा पेश व प्रमाणित नहीं की गई है। इस प्रकार इस आधार पर भी अभियोक्त्री के साथ आरोपी के द्वारा बलात्कार किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

20. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में आरोपी को घटना में संलग्न होने के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं के कथनों में आरोपी के द्वारा उसे ले जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो कि आरोपी उससे झूठ बोलकर के अपने साथ ले जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री के द्वारा अपने उक्त कथन में उसके साथ आरोपी के द्वारा उसे होटल में रखकर गलत काम करने के संबंध में बताया है। इसके अतिरिक्त आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। उक्त परिस्थितियाँ एवं साक्ष्य इस तथ्य को इंगित करती है कि अभियोक्त्री को आरोपी ही ले गया था और आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है।

21. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। जहाँ तक धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है। इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्त्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 164 जा.फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा अपने अभिमत में आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना बताया गया है इस आधार पर भी आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

22. इसके अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 376 भा0दं0वि0 एवं इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 व 5/6 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

23. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा करने तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मनः स्थिति की

उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री पर किसी प्रकार से लैंगिक हमला किया गया हो अथवा उसके साथ किसी प्रकार का संभोग किया गया हो ऐसा अभियोक्त्री के साक्ष्य में प्रारंभिक रूप से ही नहीं आया है। अभियोक्त्री के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई गलत नहीं किया गया है। निश्चित रूप से अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला होने के संबंध में जो प्रारंभिक प्रमाणन भार अभियोजन पर है और उसके उपरांत ही धारा 29 के अंतर्गत आरोपी के द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में उपधारणा की जा सकती है तथा धारा 30 के अंतर्गत उसकी मानसिक स्थिति होने के संबंध में उपधारणा की जा सकती है। ऐसी दशा में धारा 29 तथा धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती।

24. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को उसकी विधिपूर्ण संरक्षिता से बिना उसकी सहमति के उसे ले जाया गया अथवा बहला/फुसलाकर ले जाना एवं अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किये जाना तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किये जाने एवं उसके साथ कोई लैंगिक हमला कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

25. तदनुसार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 363, 366(क), 376(2)(आई)(एन) भा0दं0वि0 एवं धारा 4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए पीडिता व आरोपी की चड्डी स्लाइड व स्वाव मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला-भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला-भिण्ड म0प्र0